रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252918 CG-DL-E-13032024-252918

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1204] No. 1204]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

# सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) अधिसचना

नई दिल्ली. 29 फरवरी. 2024

का.आ. 1266(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों को प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपने अधिकार सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है;

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), इस विभाग के स्वायत्त निकायों के राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) चला रहा है जिसे नौ राष्ट्रीय संस्थानों नामत: (i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली (ii) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक (iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता (iv) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून (v) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई (vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद (vii) राष्ट्रीय बहु दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई (viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली और (ix) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से लागू किया जा रहा है;

और इस स्कीम के अधीन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं या प्रसुविधा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) इस स्कीम और इसके अधीन जारी

1811 GI/2024 (1)

विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार दिव्यांगजनों को (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा दिए जाते हैं:

और इस स्कीम के कार्यान्वयन में आवर्ती व्यय सम्मिलित है. जिसे भारत की संचित निधि से व्यय किया जाता हैं:

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य, सहायिकयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

- 1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसी बालक (अठ्ठारह वर्ष से कम आयु के दिव्यांगजन) को आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;
  - (2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्री करने से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमित के अध्यधीन आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा बालक आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;
  - (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय या विभाग को अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन हेतु सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो मंत्रालय या विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु जब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नहीं सौंपा जाता है, तब तक इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्तियों को लाभ दिए जाएंगे, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अधीन होंगे, अर्थात्:-

- (क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के बाद नामांकित किया गया था (बायोमेट्रिक्स सूचना के साथ), तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची या;
- (ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और
- (ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई एक, अर्थात्-
- i. जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
- ii. विद्यालय के प्राचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम दिए गए हों; और
  - (ग) वर्तमान स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्
- (i) जन्म प्रमाण पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या
- (ii) राशन कार्ड; या
- (iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (ईसीएचएस) कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सीजीएचएस) कार्ड; या
- (iv) पेंशन कार्ड; या
- (v) सेना कैंटीन कार्ड; या
- (vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या
- (vii) मंत्रालय या विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की उस प्रयोजन के लिए मंत्रालय या विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

- 2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, मंत्रालय/विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा कि फायदाग्राहियों को उक्त अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
- 3. जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् –
  - (क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और मंत्रालय या विभाग, अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से लाभ प्रदान करने के लिए उंगलियों के निशान अधिप्रमाणन के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे से अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा:
  - (ख) यदि उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे से अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता के साथ आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन किए जाएंगे;
  - (ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधा वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की अपेक्षित व्यवस्था मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर प्रदान की जाएगी।
- 4. उपर्युक्त में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी बालक इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं होगा, यदि प्रमाणीकरण के दौरान वह अपनी पहचान स्थापित करने या आधार संख्या रखने के प्रमाण को प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है, या यदि किसी बालक को आधार संख्या दी नहीं गई है तो नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लेख किए गए अनुसार अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सत्यापित करते हुए उसे प्रसुविधा प्रदान की जाएगी और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रसुविधा दी जाती है, वहां उसे दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी समीक्षा और लेखा परीक्षा आविधक रूप से मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से की जाएगी।
- 5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में लागू होगी । [फा.सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी] राजीव शर्मा. संयक्त सचिव

#### MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th February, 2024

**S.O. 1266(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred as the Department), in the Government of India is administering the Support to National Institutes (hereinafter referred to as the Scheme) to autonomous bodies of this Department, which is being implemented through the nine National Institutes namely (i) Pandit Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities, New Delhi (ii) Swami Vivekanand National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack (iii) National Institute for Locomotor Disabilities, Kolkata (iv) National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun (v) Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Mumbai (vi) National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities,

Secunderabad (vii) National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai (viii) Indian Sign Language Research and Training Centre, Delhi and (ix) National Institute of Mental Health Rehabilitation, Sehore (hereinafter referred to as the Implementing Agency);

And whereas, under the Scheme other Services or Benefits extended to the Persons with Disabilities (Divyangjan) according to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (hereinafter referred to as the benefits) is given to the Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agencies as per the Scheme and extent guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

- 1. (1) a child (persons with disabilities who are below the age of eighteen years) desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;
  - (2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number, or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme, provided such child is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;
  - (3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department, through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:—

- (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;
  - (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and
- (b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:
  - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
  - (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and
- (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—
- (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
- (ii) Ration Card; or
- (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card; or Employees' State Insurance Corporation Card; or Central Government Health Scheme Card; or
- (iv) Pension Card; or
- (v) Army Canteen Card; or
- (vi) any Government Family Entitlement Card; or
- (vii) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department, through its Implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

- 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
  - (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department, through its Implementing Agency, shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
  - (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
  - (c) in all other cases, where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
- 4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry or Department through its Implementing Agency.
- 5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administration.

[F. No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.